न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य

यह निगरानी पकरण क्रमांक–3274 एवं 3275–दो/2014 विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के प्रकरण क्रमांक–191 एवं 192/अपील/2011–2012 पारित आदेश, दिनाक 30–08–2014

1–दीपक बधौलिया अवयस्क पुत्र सुरेश बुधौलिया माँ संरक्षक,
श्रीमती अंजना बुधौलिया पत्नी सुरेश बुधौलिया निवासी ग्राम
कुइयापुरा गाड़ीखाना दतिया म0प्र0।

2–सुरेशचन्द्र पुत्र रामनारायण,निवासी कुइयापुरा,
गाड़ीखाना दतिया म0प्र0।

3–हरीमोहन पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम जानियां,
तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया म0प्र0

..........आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती शशि पुत्री स्व. रामनारायण पत्नी रामसजीवन,
निवासी उपाध्याना समरथ, तहसील मौंठ जिला झाँसी उ0प्र0।

..........अनावेदका

श्री आर0एस0 सेंगर, आवेदक अधिवक्ता,
श्री पी0के0 तिवारी अनावेदक अधिवक्ता,

आ दे श ::

(पारित दिनांक– 4.1 2016)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के द्वारा पारित आदेश दिनांक–30.–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2. प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय इन्दरगढ़ जिला दतिया के समक्ष निगराकार दीपक बुधौलिया (अवयस्क) की ओर से संरक्षक उसकी माँ श्रीमती अंजना देवी के द्वारा संहिता की धारा 109/110 के तहत वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2011 को प्रस्तुत कर ग्राम जौनियां की भूमि कमांक 2, 846, 847, 955 कुल किता 4 कुल रकवा 1.42 है. एवं ग्राम दोहर की आराजी कमांक 70, 154 कुल किता 2 कुल रकवा 0.59 है0 का नामांतरण निगराकार के दादा स्व. रामनारायण पुत्र अनन्तराम ब्राह्मण के बजाय निगराकार के नाम करने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदन पत्रों के आधार पर तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 27/अ–6/2010–2011 एवं प्रकरण कमांक 28/अ–6/2010–2011 पंजीवद्ध कर पारित आदेश दिनांक 11.05.2011 के द्वारा निगराकार के हित में नामांतरण आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध गैरनिगराकार द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा जिला दतिया के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । जहां प्रकरण कमांक 74 एवं 75/अपील/2010–2011 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 26.09.2011 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.05.2011 को यथावत रखते हुए अपील स्वीकार की गयी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.09.2011 के विरूद्ध गैरनिगराकार द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 191 एवं 192/अपील/2011–2012 पर पंजीवद्ध होकर पारित आदेश दिनांक 30.08.2014 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.09.2011 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.05.2011 को विधि सम्मत न मानते हुए अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की गयी। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के आदेश

दिनांक 30.08.2014 से व्यथित होकर निगराकार द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. उपरोक्त तथ्यों के संबंध में निर्णय लिए जाने से पहले परीक्षण एवं परिशीलन किए जाने हेतु पैरा 2 में अंकित अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख बुलाए गये तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये।

4. आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि विवादित भूमि मृतक भूमिस्वामी स्व. रामनारायण के स्वामित्व की भूमि थी जिसकी वसीयत करने का उन्हें पूर्ण अधिकार था। मृतक वसीयतकर्ता द्वारा अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपनी स्वेच्छा से गवाहान के समक्ष निगराकार के पक्ष में दिनांक 6.01.2011 को वसीयत संपादित की गयी है जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा विधिवत नामांतरण प्रक्रिया का पालन करते हुए निगराकार के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे, जो अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा जारी अदेश पत्रिकाओं में अंकित होने से यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। निगराकार के अधिवक्ता द्वारा कुछ न्यायसिद्धांतों का भी हवाला लिया गया हैं,जिनकी छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी है जो प्रकरण के संलग्न है जिन पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

5. गैरनिगराकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश विधिविधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है तहसीलदार द्वारा इस्ताहार का प्रकाशन भी विधिवत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा मुख्य रूप से यह भी कहा गया कि गैरनिगराकार मृतक वसीयतकर्ता की पुत्री है तथा उसके पिता स्व. रामनारायण को यह सम्पत्ति उनके पिता से विरासन में प्राप्त हुई थी। यह भी कहा गया कि यह भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में प्राप्त हुई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 12.1.2011 को दतिया में हुई है तथा वे

मृत्यु दिनांक के 6 दिन पूर्व से बेहोशी की हालत में थे तथा मृत्यु के पूर्व कोमा में थे, तथा फर्जी वसीयत करायी गयी है। इस प्रकार यह कहते हुए कि गैरनिगराकार मृतक भूमिस्वामी की पुत्री है और भूमिस्वामी की संपत्ति में उत्तराधिकारिता के आधार पर सम्पत्ति में हक रखती है। इसके अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे, जिनका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं में अंकित है। इसके अतिरिक्त गैरनिगराकार के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से वसीयत के साक्षी सुरेश विदुआ के शपथ पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें उसके द्वारा वसीयत के संबंध में कोई साक्ष्य तहसील न्यायालय में न देने की बात कहते हुए यह भी अंकित किया गया है कि वसीयत मेरे समक्ष तैयार नहीं की गयी है। डॉ0 का पर्चा भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया। अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आए है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों में अपील गैरनिगराकार द्वारा प्रस्तुत की गयी थी जहां श्रीमती किशोरी देवी प्रतिअपीलार्थी कमांक 4 के रूप में संयोजित की गयी थी। जिनकी मृत्यु दिनांक 02.06.2014 को हो गयी थी, जिसकी जानकारी गैरनिगराकार को थी किन्तु उनके द्वारा उनकी मृत्यु की जानकारी द्वितीय अपीलीय न्यायालय को नहीं दी गयी और द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिअपीलार्थी कमांक 4 की मृत्यु के बाद दिनांक 30.08.14 को मृत पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित किया गया, जो प्रारंभतः ही शून्य है क्योंकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता। द्वितीय यह कि गैरनिगराकार द्वारा साक्ष्य के रूप में वसीयत के साक्षी श्री सुरेश बिदुआ के शपथ पत्र दिनांक 13.6.14 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है वह द्वितीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2014 के पूर्व दिनांक 13.6.14 की है, जिसे उन्हें साक्ष्य के रूप में विश्लेषण हेतु अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था तथा उसका उल्लेख उन्हें अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील ज्ञापन में भी करना चाहिए था। इस संबंध में (खुशियाल बनाम कमलाबाई, 1980 रा0नि0 256) में यह अभिनिर्धारित किया

गया है कि आदेश 41 नियम 27–सामान्य तौर पर अपीलीय न्यायालय को दस्तावेज को ग्रहण करना अनुज्ञात नहीं करना चाहिए, जबकि पक्षकार इसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदान करने में विफल रहा हो। मात्र दो परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य को अपील में मंजूर किया जा सकता है–

1. अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी साक्ष्य को ग्रहण करने से इन्कार कर दिया गया हो।
2. जहॉ कि स्वयं अपीलीय न्यायालय उसे निर्णय उद्घोषित करने में समर्थ होने के लिए दस्तावेज अपेक्षित समझता है।

इसी प्रकार (सुरेश कुमार अग्रवाल बनाम श्रीमती गीतादेवी, 2003 छत्तीसगढ़ रा.ज.152: 2003(2) छ.रा.नि. 1) में यह प्रतिपादित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये थे, अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने से अनिच्छा व्यक्त की गयी। इसी प्रकार (चन्द्रकलाबाई बनाम जगदीश सिंह, सुप्रीमकोर्ट पैरा 6:1975 ज.ला ज.440) में यह प्रतिपादित किया गया है कि ''तथ्यात्मक प्रश्न किसी भी स्टेज पर ग्रहण नहीं किया जावेगा और तथ्य जवाब दावा में प्रकट न किया हो उसके बारे में साक्ष्य को नहीं देखा जावेगा। इसी प्रकार (1977 ज.ला ज. 207, गोपीनाथ बनाम गिरधरदास पैरा 7 हा.) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि ''वाद पत्र में जिस तथ्य की बुनियाद नहीं रखी गयी उसे अपील में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती''।

सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैरनिगराकार द्वारा न अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलदावा में ही इसे उठाया गया और न ही अपर आयुक्त के समक्ष उक्त दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गये। ऐसी स्थिति में गैरनिगराकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज इस स्तर पर स्वीकार नहीं किए जा सकते।

गैरनिगराकार द्वारा हिन्दूउत्तराधिकार के अनुसार, विरासती संपत्ति मानते हुए, मृतक वसीयकर्ता की संपत्ति मे हक प्राप्त करने की बात कहीं गयी है तो इस संबंध में (दामोदर सिंह बनाम महिला रामबेटी, 1997 रा.नि. 2012 राजस्व मण्डल) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित

किया गया है कि ''यदि पुरूष धारक ने संपत्ति के व्ययन बाबत वसीयत निष्पादित की हो तो नैसर्गिक वारिसों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा''। इसी प्रकार (मोहन सिंह बनाम राजाबेटी, 2004 राजस्व निर्णय 284 राजस्व मण्डल म0प्र0) में यह स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत प्रतिपदित किया गया है कि, ''विरासत का अधिकार–धारा 165 सह–पठित धारा 164 के तहत भूमि स्वामी को भूमि अंतरण का अधिकार प्राप्त होना माना गया। जीवन काल में भूमिस्वामी के द्वारा कोई अंतरण किया गया हो, तो उसके जीवन काल में विरासत का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। विरासत का अधिकार मरने के बाद ही उठाया जा सकता है। अंतरण के अधिकार को संहिता की धारा 165 के प्रावधानों से विनियमित होना माना गया।

उपरोक्त न्यायसिद्धांतों के प्रकाश में वसीयत शुदा संपत्ति में विरासत की बात कहना स्वीकार योग्य नहीं है।

7. अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह आधार लिया गया है, कि वसीयत की मूल प्रति नहीं ली गयी, तथा मूल प्रति प्राप्त करने हेतु जो आवेदन दिया गया है उसमें निगराकार के हस्ताक्षर नहीं है, तो इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा जारी आदेश 11.05.2011 पर यह टीप अंकित है कि '' मूल वसीयतनामा एवं मूल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संलग्न निगराकार के द्वारा प्रस्तुत मूल वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने संबंधी आवेदन पत्र पर निगराकार के हस्ताक्षर न होने की बात कही गयी है तो आवेदन के अवलोकन से पाय गया कि आवेदन पर निगराकार की संरक्षक मॉ अंजना के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अपर आयुक्त का यह आधार लिया जाना उचित नहीं है, कि मूल वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। जब मूल वसीयतनामा वापस प्राप्त किया गया है तो निश्चित ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तहसीलदार एक जिम्मेदार अधिकारी है जिसके अभिलेख पर अंकित टीप पर संदेह किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। जहॉ तक विल (वसीयत) के इस आधार पर संदेह जनक होने की बात कही गयी है कि मृतक की पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य को वसीयत करना संदेह जनक है, तो इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक वसीयत कर्ता की पत्नी श्रीमती किशोरी देवी द्वारा उसके पति के द्वारा अपने पोते (पुत्र के पुत्र) दीपक

बुधौलिया के पक्ष में दिनांक 06.01.2011 से संपादित की गयी वसीयत के संबंध में अपनी मृत्यु दिनांक 02.06.2014 तक किसी भी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की गयी। वैसे भी वसीयत, वसीयत कर्ता द्वारा अपने पोते यानी पुत्र के पुत्र के पक्ष में की गयी है जिसे अन्य व्यक्ति की परिभाषा में नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त संपादित वसीयत को साक्ष्य अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत दो गवाहों के माध्यम से प्रमाणित किया गया है जिसके संबंध में निम्न न्यायसिद्धांत प्रतिपादित किए गये है–(1983 रा.नि. 304) विल का सबूत– नामांतरण कार्यवाहियॉ–विल प्रतिप्रेषण के पश्चात पेश की गयी–अनुप्रमाणक साक्षियों द्वारा साबित की गयी–केवल इस आधार पर विल को संदेहास्पद अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह बाद में पेश की गयी। इसके अतिरिक्त,(1978 जे.एल.जे. 391) विल करने का अधिकार–एक मात्र अभिलिखित भूमि स्वामी–उसे विल करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त (रविशंकर वि. राजेन्द्र 1999 रा.नि.273 म.प्र.हा.को.) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, वसीयत–हिन्दू उत्तराधिकार 1925 की धारा 63 एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 की धारा के प्रावधानों के अनुसार वसीयत, वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित तथा कम से कम दो गवाहों के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार कम से कम एक साक्षी की परीक्षा की जानी चाहिए''। तहसीलदार के न्यायालयीन अभिलेख से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत उद्घोषणा जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने की कार्यवाही करते हुए आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। बाद उद्घोषणा कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर वसीयत के दोनों साक्षियों का परीक्षण किया जाकर उनकी साक्ष्य ली गयी है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसके आधार पर दोनों साक्षियों द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि वसीयत कर्ता द्वारा स्वस्थ चित्त रहते एवं स्वस्थ मानसिकता से अपनी पूर्ण स्वेच्छा से अपने पोते पुत्र के पुत्र दीपक बुधौलिया के हक में वसीयत संपादित की गयी है। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा नामांतरण की सम्पूर्ण विधिक प्रकियाओं का पालन करते हुए दिनांक 11.05.2011 को नामांतरण आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंम्मत होने से तथा इसे यथावत रखने संबंधी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.9.2011 को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कानूनी भूल की गई है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30.8.2014 उपरोक्त वर्णित परिस्थितयों में सारवान न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30.08.2014 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय तहसीलदार का आदेश दिनांक 11.05.2011 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26.9.2011 उपरोक्त विर्णित न्याय सिद्धांतों के अनुकम में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप तथा विधि सम्मत होने से यथावत रखे जाते हैं। निगरानी स्वीकार की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

5.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,ग्वालियर